(प्रपत्र – 2)

परिशिष्ट (देखिये नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरणः–

1. (क)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। संलग्न है।
(ख)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि– और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	
(ग)	परियोजना की लागत। –	40 लाख
(घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। –	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
(ड.)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)।	संलग्न है।
(च)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है। –	सडक मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 200 मानव दिवस।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	आरक्षित वन भूमि – 0.1134 है0 वन पंचायत भूमि – 0.0000है0 सिविल सोयम भूमि – 0.0000 है0 नाप भूमि – 0.0432 है0 **कुल भूमि – 0.1566 है0**
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	लागू नहीं है।
(क)	परिवारों की संख्या –	शून्य
(ख)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। –	शून्य
(ग)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)। –	शून्य

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?	संलग्न है।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्वता (वचनवद्वता संलग्न की जाय)।	संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम–

दिनांक 9.02.2021

स्थान– सहिया

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून

प्रस्ताव की क्रम सं0.....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।

(प्रपत्र – 3)

कार्य का नाम :– जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक का निर्माण।

(लम्बाई– 0.435 किमी0)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.............................

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक के निर्माण हेतु 0.1134 है0 वन भूमि का अ0ख0 लो0नि0वि सहिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	0.1134 है0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.1134 है0 आरक्षित वन भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 0.0000 है0 सिविल सोयम भूमि **0.1134 है0 कुल वन भूमि**
(vi)	हरियाली का घनत्व	....
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल–2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल–4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल शून्य वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या शून्य है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या...19.. से 20.. तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की ~~दिनांक~~ ...[illegible]...... की भूगर्भीय आख्या संलग्न–प्रस्ताव के ~~पृष्ठ संख्या~~...31/35 तक चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल रीवर रेंज से गुजरता है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जायें)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ~~पृष्ठ संख्या~~ [illegible]... ~~पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है~~ [illegible]
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरिक्षत पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के ~~पृष्ठ~~ [illegible]..37 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भमि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या .... पर संलग्न है।

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के ~~पृष्ठ संख्या~~ 42 से ......तक पर संलग्न है। पृष्ठ 42
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के ~~पृष्ठ संख्या~~ पृष्ठ 42 पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के ~~पृष्ठ संख्या~~ पृष्ठ 46 ~~से ...... तक~~ संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :– जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजंसी :– स्वंय वन विभाग समय :– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :– क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रू0 .76473 लाख का प्राक्लन ~~पृष्ठ संख्या~~ 42 से ....तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 3.35 लाख का प्राक्लन ~~पृष्ठ संख्या~~ पृष्ठ से 46 तक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रू0 0.76473 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रू0 3.353 लाख परियोजना के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्लन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या ...... पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या .... पर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चकराता वन प्रभाग/जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	3088 वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	1522.70 वर्ग किमी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 585 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 2155.47 है0 है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 3339.49 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 5634.696 है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 5711.671 है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक ..... को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

मांग विभाग की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर संस्तुति की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

दिनांक :- 2024

स्थान :- कालसी

हस्ताक्षर

नाम (नीतीश भारद्वाज)

सरकारी मोहर

उपखण्ड अधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता

(प्रपत्र – 4)

कार्य का नाम :– जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक का निर्माण।

(लम्बाई– 0.435 किमी0)

भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए वृक्षों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नामः–
सरकारी मोहर

कार्य का नाम :– जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक का निर्माण।

(लम्बाई– 0.435 किमी0)

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नामः–
सरकारी मोहर

कार्य का नाम :– जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक का निर्माण।

(लम्बाई– 0.435 किमी0)

भाग – 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्रधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग– IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नामः–

सरकारी मोहर